



झारखण्ड ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय: राजेन्द्र प्लेस, 5, मेन रोड, राँची, झारखण्ड-834001

बैंक के सेवायुक्तों/सेवानिवृत्त/दिवंगत मृतक सेवायुक्तों के लिए पेंशन से संबंधित सूचना

झारखण्ड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018 भारत सरकार के असाधारण राजपत्र (Extra Ordinary Gazette) में दिनांक 27.12.2018 को प्रकाशित होकर दिनांक 27.12.2018 से प्रभावी हो गया है।

अतः झारखण्ड ग्रामीण बैंक के सेवायुक्तों/सेवानिवृत्त/दिवंगत (मृतक) सेवायुक्त के परिवार के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पेंशन हेतु अपना विकल्प निर्धारित प्रारूप में अधिकतम दिनांक 25.04.2019 सायं 5.00 बजे तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (अंतिम पदस्थी) में जमा करें। दिनांक 25.04.2019 सायं 5.00 बजे तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर वे इस योजनान्तर्गत पेंशन हेतु पात्र नहीं होंगे।

पेंशन से संबंधित परिपत्र एवं संबंधित विकल्प का प्रारूप आदि बैंक के वेबसाईट (www.jharkhandgraminbank.com) पर उपलब्ध है।

महाप्रबंधक